

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2016- 1078

Dated: 21-9-2016


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-10-31 Hecter of forest land proposed to be diverted in favour of the Deputy Director, Horticulture, H.P., Shimla- for construction of Fruit & Plant protection laboratory at Launga Tehsil Rampur District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-10-31 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above



(Rohan Chandra Chakur)
District Collector, Shimla

(5)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 08-09-2016. at 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Lauga claiming rights in Village forest area(s) 0-10-31 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	


Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-10-31 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 08-09-2016




District Collector
Deputy Commissioner (G.P.) Chairman

69

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (C), RAMPUR BUSHAHR, DISTRICT
SHIMLA, HIMACHAL PRADESH.**

**Proceedings of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled
Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mr. Dalip Negi, HAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 09th May, 2015 at 11:00 AM at Rampur in which the application (s) of the applicant(s) of Lauga Gram Sabha, claiming rights in UPF of Lauga forest area measuring 00-10-31 Hect. in Sub- Tehsil Kotgarh, Distt. Shimla, H.P. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Lauga Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission of Distt. Level Committee:-

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
1.	Deputy Director Horticulture Shimla, Distt. Shimla, H.P.	UPF Lauga	-----

Following applicants were not found in order and hence rejected.

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
---	---	---	---

OR

As informed by Lauga Gram Sabha, no application was received claiming right in UPF Lauga on forest area.

Place : Rampur Bushahr.
Dated : 06.05.2015

SDO (Civil)-cum-Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा लौगा ग्राम पंचायत थानेधार

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या..... 01

दिनांक 26-09-2014

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा लौगा, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला की बैठक आज दिनांक 26/09/14 को 11:00 बजे, स्थान थानेधार में श्री/श्रीमति संजय जिष्ट की अध्यक्षता में की गई जिसमें लौगा गांव /गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लौगा (डाबी) जंगल / वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें फल पौध पोषण प्रयोगशाला हेतु भवन के निर्माण के लिए 0-10-31 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित हैं।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि उद्यान विभाग का जंगल/ वन क्षेत्र में फल पौध पोषण प्रयोगशाला हेतु भवन के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया । तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

स्थान.. थानेधार

दिनांक.. 26-09-2014

Mmushy9

सचिव,
वन अधिकार समिति लौगा
ग्राम पंचायत, थानेधार, तहसील कुमारगढ़, जिला शिमला, हि० प्र० ।

ग्राम सुधार समिति लौगा की वेबसाइट

आज दिनांक 26/09/2020 को संजय जिह्दु प्रधान की अध्यक्षता में स्थान लौगा में बैठक की गई।

विषय - ग्राम शाही में सड़क के साथ उद्यान विभाग के नाम प्रयोगशाला के साथ की अतिरिक्त भूमि को उद्यान विभाग के दस्तावेज करने बारे विचार -

उपरोक्त जमीन जो करीब रुक बीघा जमीन उद्यान विभाग के नाम सरकारी वन भूमि दस्तानि की जानी प्रस्तावित के बारे में बैठक में प्रधान वन अधिकार समिति लौगा श्री संजय जिह्दु ने किस के लिए समिति के समक्ष रखा जिसमें समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया यदि यह वन की सरकारी भूमि प्रयोगशाला / बागवानी अनुसंधान के लिए उद्यान विभाग के नाम दस्तानि कर दी जाती है तो ग्राम के लोगों को तथा वन अधिकारी समिति को इस विषय में कोई भी सतराज नहीं है ज्ञात है यह भूमि उद्यान विभाग के नाम दस्तानि कर दी जाय यह भी पारित किया कि इस प्रस्ताव की नकल सरकार को उद्यान विभाग शोध संरक्षण केन्द्र थानाधार की माफत उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जाय।

नकल प्रस्ताव फसल के सही व दस्त है जो समिति की कार्यवाही में मौजूद है।

सचिव वन अधिकार समिति लौगा

Sushil

सचिव

वन अधिकार समिति लौगा

कंधर थानाधार, जिला चित्तल (हि 30)

जिला चित्तल (हि 30)

प्रधान वन अधिकार समिति लौगा

प्रधान

वन अधिकार समिति लौगा

कंधर थानाधार, जिला चित्तल (हि 30)

कंधर थानाधार

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत.....थानाधार....

विकास खण्ड....नारकण्डा.. जिला.....शिमला..... हि० प्र०

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षत श्री/ श्रीमति हिना लाल हाकुर

दिनांक 02-10-2014

सम्पूर्णति...../.....

प्रस्ताव संख्या.....

विषय:.....उद्यान...विभाग/संस्था को..फल पौध पोषण प्रयोगशाला हेतु भवन.....के निर्माण हेतुलौगा (डाबी)..... जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित....0-10-31.. हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत.....थानाधार.....की बैठक आज दिनांक 02-10-2014 को 11.00 बजे, स्थान..थानाधार..... को फल पौध पोषण प्रयोगशाला हेतु भवन ... के निर्माण हेतु चक लौगा (डाबी) जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...0-10-31..... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जन जपति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित

0-10-31..... हैक्टेयर वन भूमि को..... फल पौध पोषण प्रयोगशाला हेतु भवन ... निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....थानाधार.....की सहमति दी जाती है।

स्थान.....थानाधार.....

दिनांक.....02-10-2014.....

ग्राम पंचायत सहायक

ग्राम पंचायत अधिकारी

विकास खंड नारकण्डा

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायतथानाधार



ग्राम पंचायत थानेधार
(विकास खण्ड नारकण्डा)

दूरभाष: 01782-222538

डाकघर थानेधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि.प्र.)

क्रमांक.....

दिनांक 23/9/2013

प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि नौगा
राजस्व चक्र स्थित डाकी के किसान
नम्बर 574 में उद्यान विभाग (हि.प्र.)
स्वरकार फलोद्यान से सम्बन्धित
प्रायोगिक शाला निम्नी के लिए भूमि
को प्राधिकारण करना चाहता है जिस
के लिए ग्राम पंचायत थानेधार
अपनी सहमति प्रकट करती है। इस
भूमि के प्राधिकारण प्रायोगिक शाला निम्नी
के विषय पर फैसला करने के लिए भी
प्राप्त नहीं



हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

23/9/2013

Mmushy

Dy Director Horticulture
Shimla, Dist. Shimla